प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022प्र0इ0रि0 सं. ....354/2022....दिनांक....09/09/2022....

2. (I) अधिनियमः-धारा 7भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित)अधिनियम 2018
   (II) अधिनियम .... धारायें ....
   (III) अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .... (अ)

3. रोजनामचा आम रपट संख्या ...163..... समय ....6:30 PM....
   (ब) अपराध घटने का दिन-शुक्रवार, दिनांक 08.09.2022 समय 3.52 पीएम
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 30.8.2022 समय .... पीएम

4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित

5. घटनास्थल :-कमरा नं0 101, होटल क्रिमसन, चक-16 एमएल, नियर रिको फ्लाईओवर, श्रीगंगानगर।
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः-बजानिब उत्तर पश्चिम दिशा करीब 500 किमी
   (ब) बीट संख्या..........................जयरामदेही सं.................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6.(1) परिवादी /सूचनाकर्ता :-
   (अ) नाम-श्री विकास कुमार
   (ब) पिता/पति का नाम-श्री विजय पाल भादू
   (स) जन्म तिथी- उम्र-31 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता- भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय -प्राईवेट डाक्टर
   (ल) पता-हाल निवासी आरवी-12 रिद्वी सिद्वी फर्स्ट श्रीगंगानगर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : -

1. डॉ. रोहित चौधरी पुत्र श्री पृथ्वीराज, जाति जाट, उम्र 39 वर्ष निवासी 36 पीटीपी मनीवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर हाल चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)...
   ....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य-80,000 रूपये लिप्त सम्पति

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 30-8-2022 को परिवादी श्री विकास कुमार पुत्र श्री विजय पाल भादू हाल निवासी आरवी-12 रिद्वी सिद्वी फर्स्ट श्रीगंगानगर ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ''सेवामें श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर विषय - भ्रष्ट डॉक्टर रोहित भादू प्रभारी पीलीबंगा जिला - हनुमानगढ़ के विरूद्व कार्यवाही करवाने हेतु। मान्यवर, निवेदन है कि मै विकास कुमार s/o विजयपाल भादू निवासी चक

ठाकरूवाला तह.-पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ और हाल निवासी RV-12 रिद्धि सिद्धि 1st श्रीगंगानगर का रहने वाला हुँ, दिनांक 16/07/2022 को मेरे दोस्त धर्मपाल सिहाग का गांव के ही निवासी रजत भादू के साथ हाथापाई हो गई थी जिसे गाँव के लोगो ने बीच-बचाव करके छुड़वा दिया यह घटना करीब शाम 6:15 के आस-पास हुई थी जिसमें रजत भादू के कोई ज्यादा चोट नही लगी थी जिसको उसी रात 10 बजे के करीब रजत को उसके घर वाले पीलीबंगा के सरकारी हॉस्पीटल में लेकर गये जहां से उपचार के बाद रजत भादू को सुबह करीब चार बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। इस घटना के संबध मे पुलिस थाना पीलीबंगा पर रजत की और से मुकदमा नं0 346/22 धारा 323, 341, 504 भा0द0सहिता मे दर्ज करवाया गया था तथा मेरे दोस्त धर्मपाल की ओर से मुकदमा नं0 348/22 धारा 323, 341, 34 भा0द0 संहिता में दर्ज करवाया गया था। रजत का डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल पीलीबंगा मे डाक्टर रोहित भादू के द्वारा मोटी रिशवत राशि लेकर किया गया जिसमें रजत के पसलियो मे फ्रेक्चर होना व सिर मे गंभीर चोट होना अंकित करते हुये पाँच चोट ग्रेवियस (गंभीर) अंकित कर दी गई जब मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मै डॉ. रोहित भादू के पास गया और उसे रजत की रिपोर्ट में गंभीर चोट बनाकर लिखने का उलाहना दिया तो उसने मुझसे कहा की 25,000 रूपये दो तो मै नोर्मल चोट लिख दुँगा इस पर मैने 18/07/2022 को डॉ रोहित भादू के सरकारी निवास पर जाकर दे दिये। इसके बाद डॉक्टर ने 22/07/2022 को मुझे 20,000/- रूपये ओर मांगे तथा कहा की मेरे पास तो 10,000 ही बचे है ओर मैने आगे दे दिये है। इस पर मैने 23/07/2022 को डॉ रोहित भादू के सरकारी निवास के बाहर कार मे बैठाकर 20,000 रूपये दे दिये थे। इसके उपरांत भी डॉ रोहित भादू ने दुसरी पार्टी से मोटी रकम लेकर पुर्व मे बनायी गयी झुठी रिपोर्ट जिसमे पाँच चोट गंभीर प्रवृती की होना लिखा गया था यथावत पुलिस थाना पीलीबंगा को दे दी। मुझे इस बात की जानकारी हुई तो मै डॉ रोहित भादू के पास गया ओर उलाहना दिया की आपने पैसे लेकर भी झुठी रिपोर्ट बनाकर पुलिस को दी दी है। इस पर डॉ रोहित भादू ने बोला की मै अपने OPINION मे साधारण प्रवृती की चोट होना लिख दूंगा। दिनांक 04/08/22 को पुलिस थाना पीलीबंगा के द्वारा डॉ रोहित भादू से चोटो के बाबत OPINION माँगा गया तो दिनांक 14/08/22 को डॉ रोहित भादू ने रजत की सभी चोटो को गंभीर और जान-लेवा होना अंकित कर दिया था। इस पर मै डॉ रोहित भादू के पास गया और डॉ रोहित भादू को खरी खोटी सुनाई और पैसे वापि माँगे तो डॉ रोहित भादू ने मुझसे 1 पेटी (एक लाख) रूपये की माँग की और बोला की मै रिपोर्ट बदल दुँगा। इस पर मेने दिनांक 19/08/2022 को डॉ रोहित भादू को उसके कहे अनुसार 40 हजार रूपये (20-20 हजार दो बार मे) फोन पे कर दिये थे तथा दिनाँक 20/08/2022 को भी 20-20 हजार रूपये (40 हजार) दो बार मे फोन पे कर दिये थे इसका screen shot प्रार्थना पत्र पत्र के साथ संलग्न कर रहा हुँ। डॉ रोहित भादू से मेरी इस संबंध में whatsapp chat भी हुई थी जिसका भी screeen shot की copy संलग्न पेश कर रहा हुँ इस प्रकार 80 हजार रूपये डॉ रोहित भादू को पुलिस थाना पीलीबंगा की ओर से दिनांक 04/08/2022 को रजत के क्रम मे OPINION हेतु दिये गये पत्र की प्रति पर डॉ रोहित ने मुझे लिखकर दिया की तीनो चोटे मृत्यु कारित साबित नही होसकती थी। डॉ रोहित ने यह भी कहा की मेरे द्वारा पुलिस को दि गयी पहले वाली OPINION की मुल कॉपी निकलवाकर ले आना और इस मुल कॉपी को उस फाईल मे लगवा देना अंगर पुलिस वाले रिपोर्ट नही बदले तो मुझे बता देना मै बदलवा दुँगा। मुझे रिशवतखोर भ्रष्ट डॉ रोहित भादू को पकड़वाना था इसलिये मैने उसके द्वारा मांगे गयी रिशवत राशि एक लाख रूपये

मे से 80 हजार दिये थे और 20,000 रूपये उसे रंगे हाथो पकड़वाने के लिये बाकी रख लिये थे और मैने उसके द्वारा लिखी गयी बदली हुयी OPINION की कॉपी अपने पास ही रख ली ओर दिनांक 22/08/2022 को मै डॉ रोहित को ACB से पकड़वाने की शिकायत करने ACB कार्यालय हनुमानगढ़ गया और वहा पे CI सुभाष जी ढील ने SDM पीलीबंगा के मार्फत डॉ रोहित भादू के खिलाफ कार्यवाही नही करने के ऐवज मे तीन लाख रूपये की माँग की और यह भी बताया की डॉ रोहित भादू के खिलाफ मेरे द्वारा शिकायत ACB मे करी गयी है। मै टांटीया हॉस्पीटल ग्रुप के हॉस्पीटल मे JOB करता हुं वही पर डॉ रोहित भादू के पिता जी P.R. भादू जन सेवा हॉस्पीटल मे JOB करते है जो पीलीबंगा मे हमारे पास अपने दामाद डॉ दिपक चौधरी के साथ आये थे और मुझको ACB मे शिकायत करने का उलाहना देते हुये उक्त बात बतायी मुझसे P.R. भादू ने बैठकर आपस मे मामला सुलझाने और डॉ रोहित से गलती होने की बात कहते हुये पैसे वापस देने का ऑफर भी किया है। मै समझौता नही करना चाहता और भ्रष्ट डॉ रोहित भादू उर्फ रोहित चौधरी के खिलाफ कानुनी कार्यवाही करना चाहता हुँ। Date 30/08/2022 प्रार्थी एसडी/- विकास कुमार S/o विजयपाल भादू हाल निवासी RV-12 रिद्धि सिद्धि 1st श्रीगंगानगर Mob - 8955986868, 8824950001'' परिवादी ने दरियाफत पर बताया कि मेरे दोस्त धर्मपाल सियाग का उसके गांव के ही निवासी जयचंद भादू के साथ हाथापाई हो गई थी जिसमे रजत भादू के कोई ज्यादा चोटे नही आई थी फिर भी उसने पुलिस थाना पीलीबंगा मे 346/2022 मुकदमा दर्ज करवा दिया था मेरे दोस्त धर्मपाल सियाग ने भी उक्त थाने मे मुकदमा नम्बर 348/2022 दर्ज करवाया दिया था उक्त मुकदमा नम्बर 346/2022 मे रजत भादू ने पीलीबंगा सरकारी अस्पताल के डॉ. रोहित भादू को मोटी रिश्वती राशि देकर पसलियो मे फ्रेक्चर तथा सिर मे गंभीर चोट अंकित करवा दी तब मैने डॉ. रोहित भादू को गलत रिपोर्ट बनाने का उलाहना दिया तो उसने नॉर्मल चोट लिखने के 18-7-2022 को पच्चीस हजार रूपये तथा 23-7-2022 को 20,000/- रूपये रिश्वत प्राप्त करलिए उसके बाद भी दूसरी पार्टी से मोटी रिश्वत लेकर उसके पांच गभीर चोट रिपोर्ट मे अंकित कर दी मेरे द्वारा उलाहना देने पर उसने एक लाख रूपये रिश्वत की ओर मांग करी तथा दिनांक 19 एवं 20-8-2022 को फोन-पे के माध्यम से कुल 80,000/- रूपये ओर रिश्वत के प्राप्त कर लिए मैने 20,000/- रूपये लेते हुए उसके विरूद्व ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु एसीबी हनुमानगढ़ मे सम्पर्क किया जहां से मेरी शिकायत की जानकारी उक्त डॉक्टर को मिल जाने के कारण ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। उक्त आरोपी द्वारा पूर्व मे ली गई रिश्वती राशि दिनांक 8-9-2022 को लौटाने की सूचना आई है आरोपी को उक्त 80,000/- रूपये रिश्वती राशि फोन पे से किए थे तथा रिश्वत राशि के बारे मे आरोपी से वाट्सअप चेटिंग भी हुई थी जो मेरे मोबाईल फोन मे है। परिवादी को उक्त फोन-पे व वाट्सअप चेटिंग से संबंधित स्क्रिनशॉट प्राप्त की गई।

दिनांक 7-9-2022 को मन् उप अधीक्षक पुलिस संजय कुमार व ब्यूरो स्टॉफ मय स्वतंत्र गवाहान मय आवश्यक सामान सरकारी ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर आदि मय उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सरकारी वाहनो से गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होकर दिनांक 8-9-2022 को होटल क्रिमसन, श्रीगंगानगर पर पहूंचा तथा ट्रेप जाल बिछाया गया।

दिनांक 8-9-2022 को परिवादी से आरोपी डॉक्टर रोहित भादू द्वारा चोट प्रतिवेदन के क्रम मे ली गई रिश्वती राशि के सत्यापन हेतु एवं रिश्वती राशि को वापस लौटाते समय होने वाली वार्ता के सत्यापन एवं रिकार्ड हेतु नियमानुसार

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को दिया जाकर आरोपी डॉ. रोहित भादू से सम्पर्क करने हेतु होटल क्रिमसन श्रीगंगानगर के कमरा नं0 101 में भेजा गया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ के साथ उक्त होटल के कमरा नं0 104 में अपनी गोपनीय रूप से उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुआ। परिवादी ने समय 3.52 पीएम पर अपने मोबाईल फोन नं0 8955986868 से मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर जरिये वाट्सअप बताया कि डाक्टर रोहित भादू ने पूर्व मे तैयार की गई चोट प्रतिवेदन के क्रम मे फोन-पे के जरिये ली गई 80,000/- रूपये की रिश्वती राशि मेरे खाते मे जरिये फोन-पे लौटा दी है तथा शेष 45000/- रूपये बाद मे नगद देने के लिए कहा है। परिवादी की सूचना प्राप्त होने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ के साथ कमरा नं0 101 होटल क्रिमसन में पहूंचा तो परिवादी कमरा नं0 101 के गेट के पास खड़ा हुआ मिला जिससे पूर्व में दिया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया कि डाक्टर रोहित भादू अपने पिता श्री पीआर भादू अपने रिश्तेदार एवं मेरे रिश्तेदारो को साथ लेकर आया था। जिसने रजत कुमार की चोट प्रतिवेदन मे अंकित गंभीर चोट गलत अंकित करने के बारे मे अपनी गलती स्वीकार कर ली है तथा मेरे से ली गई 125000/- रूपये रिश्वती राशि मे से जरिये फोन-पे ली गई रिश्वती राशि 80000/- रूपये मेरे खाते मे वापस जरिये फोन-पे अभी-अभी लोटाई है तथा शेष 45000/- रूपये मेरे को मजरूब रजत कुमार की चोटो की प्रकृति के संबंध में पुलिस थाना पीलीबंगा के पत्रांक एसपीएल दिनांक 04-8-2022 के मूल पत्र पर दिनांक 14-8-2022 को उक्त चोटो के क्रम मे स्वयं द्वारा दी गई ओपिनियन की मूल प्रति मुझसे वापस मांगी है उसके बाद ही शेष 45000/- रूपये रिश्वत के लौटाने की बात कही है। मेरे पास पुलिस थाना पीलीबंगा का दिया गया मूल पत्र जिस पर डॉ. रोहित भादू ने दिनांक 14-8-2022 को अपनी ओपीनियन दी थी मेरे पास था लेकिन मैने उक्त डाक्टर को नही दिया गया है। परिवादी द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त पत्र प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को साथ लेते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यो के कमरा नं0 101 के अन्दर प्रवेश हुआ तो कमरे के अन्दर सामने कुर्सी पर सिर पर टोपी पहने हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह ही डॉ. रोहित भादू है जिन्होने अभी-अभी पूर्व में ली गई 125000/- रूपये की रिश्वती राशि मे से 40,000/-40,000/- रूपये कुल 80,000/- रूपये जरिये फोन-पे मुझे वापस लौटाए है तथा शेष रिश्वती राशि 45000/- रूपये की रिश्वती राशि रजत भादू की चोटो के संबंध में पुलिस थाना पीलीबंगा द्वारा ली गई राय बाबत पत्र मूल लौटाने पर देने की बात कही है। इस पर सिर पर टोपी पहने हुए व्यक्ति को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने अपना एवं स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम डॉ. रोहित चौधरी पुत्र श्री पृथ्वीराज, जाति जाट, उम्र 39 वर्ष निवासी 36 पीटीपी मनीवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर हाल चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ मोबाईल नम्बर 9414362102 होना बताया। डॉ. रोहित चौधरी के पास कुर्सी पर बैठे हुए

एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यह डॉ. रोहित चौधरी के पिताजी श्री पीआर भादू है इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने उक्त बुजुर्ग व्यक्ति को अपना एवं स्वंतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम पृथ्वीराज पुत्र श्री पोलाराम उर्फ मनफूलराम, जाति जाट, उम्र 71 साल निवासी 36 पीटीपी मनीवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर हाल सेवानिवृत सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी मो0नं0 9610095951 होना बताया। इसी कमरे मे छः अन्य व्यक्ति भी बैठे हुए है जिनके बारे मे परिवादी श्री विकास कुमार एवं आरोपी डॉ. रोहित चौधरी से पूछा गया तो इन्होने इन व्यक्तियो को अपना रिश्तेदार बताया। डॉ. रोहित चौधरी ने बताया कि मेरे द्वारा जो रजत भादू की चोट प्रतिवेदन के कम मे ओपिनियन दी थी जिसकी मूल प्रति श्री विकास कुमार के पास है उसको वापस दिलवाने के लिए इन रिश्तेदारो को बुलाया है उक्त व्यक्तियो से पृथक-पृथक नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम सुशील कुमार पुत्र श्री वकील चंद, निवासी वार्ड नं0 09, पीलीबंगा मो0नं0 8560020018, दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री हंसराज पुत्र श्री लालचंद, निवासी ग्राम ताखरावाली, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर मो0नं0 9829176147, तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री जगदीश पुत्र श्री पृथ्वीराज निवासी ग्राम पंडीतावाली तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ मो0नं0 9414632870, चौथे व्यक्ति ने अपना नाम राम प्रताप पुत्र श्री उद्दाराम निवासी ग्राम बड़ोपल, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ मो0नं0 9799289605, पांचवे व्यक्ति ने अपना नाम बृजलाल पुत्र श्री कालूराम निवासी ग्राम डबलीपुरा, 5-एमजेवी तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ मो0नं0 9461109484 एवं छठे व्यक्ति ने अपना नाम बृजलाल पुत्र श्री रतीराम निवासी जाखलाव, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ मो0नं0 9784066502 होना बताया। उक्त सभी व्यक्तियो से इस कमरे मे उपस्थित आने का कारण पूछा तो उक्त सभी ने बताया कि हम लोग तथा श्री विकास कुमार एवं डॉ. रोहित चौधरी आपस मे रिश्तेदार है डॉ. रोहित चौधरी के द्वारा कोई मेडिकल रिपोर्ट गलत तैयार की थी जिसकी कॉपी श्री विकास कुमार के पास थी इस गलत रिपोर्ट तैयार करने की गलती डॉ. रोहित चौधरी ने अभी थोड़ी देर पहले मानते हुए उक्त रिपोर्ट के कम मे विकास कुमार से माफी मांगी थी तथा विकास कुमार से जो रिश्वत के 125000/- रूपये लिए थे उनको वापस लौटाने की हमारे सामने हां भरी थी इस कम मे डॉ. रोहित चौधरी ने अभी थोड़ी देर पहले श्री विकास कुमार के खाते मे फोन-पे के जरिये उक्त रूपयो मे से 80,000/- रूपये डाल दिए थे तथा डॉ0 रोहित चोधरी के द्वारा रजत भादू की मेडिकल ओपिनियन तैयार करके विकास कुमार को दी थी उसकी मूल कॉपी वापस डॉ. रोहित चौधरी को शेष रिश्वती राशि 45000/- रूपये कल लौटाने की बात कही थी।

तत्पश्चात् डॉ. रोहित चौधरी से रजत भादू की चोट प्रतिवेदन के कम मे चोटो को गंभीर प्रकृति एवं उक्त चोटो से मृत्यु कारित नही होने की ओपीनियन पुनः तैयार कर देने हेतु परिवादी से पूर्व मे ली गई 125000/- रूपये की रिश्वत के कम मे पूछा गय तो डॉ. रोहित चौधरी ने बताया कि उक्त रूपये श्री विकास कुमार ने मेरे खाते मे अपनी मर्जी से डाले है मैने कोई उनसे जबरदस्ती

नही करी थी। श्री विकास कुमार को मैने श्री रजत भादू के चोटो प्रतिवेदन पर अपनी ओपीनियन तैयार कर पुलिस थाना पीलीबंगा मे देने के लिए दी थी लेकिन श्री विकास कुमार उक्त रिपोर्ट पुलिस थाना पीलीबंगा मे नही दी एवं मेरे को उक्त रिपोर्ट दिखाते हुए दबाव डाला कि यदि मेरे पैसे वापस नही दिए तो मै आपकी शिकायत करूंगा मैने शिकायत के डर से उक्त रूपयो मे से 80000/- रूपये फोन-पे के जरिये आज मेरे पिताजी एवं कमरे मे बैठे मेरे रिश्तेदारो के सामने दे दिए थे मेरे पिताजी एवं इन रिश्तेदारो को सुरक्षा की दृष्टि से मै साथ लेकर आया था। इस पर परिवादी विकास कुमार ने आरोपी डॉ. रोहित चौधरी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि डाक्टर रोहित चौधरी अपने पिता श्री पीआर भादू अपने रिश्तेदार एवं मेरे रिश्तेदारो को साथ लेकर आया था। जिसने रजत कुमार की चोट प्रतिवेदन मे अंकित गंभीर चोट गलत अंकित करने के बारे मे अपनी गलती स्वीकार कर ली है तथा मेरे से ली गई 125000/- रूपये रिश्वती राशि मे से जरिये फोन-पे ली गई रिश्वती राशि 80000/- रूपये मेरे खाते मे वापस जरिये फोन-पे अभी-अभी लोटाई है तथा शेष 45000/- रूपये मेरे को मजरूब रजत कुमार की चोटो की प्रकृति के संबंध में पुलिस थाना पीलीबंगा के पत्रांक एसपीएल दिनांक 04-8-2022 के मूल पत्र पर दिनांक 14-8-2022 को उक्त चोटो के क्रम मे स्वयं द्वारा दी गई ओपिनियन की मूल प्रति मुझसे वापस मांगी है उसके बाद ही शेष 45000/- रूपये रिश्वत के लौटाने की बात कही है। मेरे पास पुलिस थाना पीलीबंगा का दिया गया मूल पत्र जिस पर डॉ. रोहित भादू ने दिनांक 14-8-2022 को अपनी ओपीनियन दी थी मेरे पास था लेकिन मैने उक्त डाक्टर को नही दिया गया है जो मैने अभी कुछ समय पूर्व आपको सुपुर्द कर दिया था।

तत्पश्चात् आरोपी डॉ. रोहित चोधरी के पिता श्री पृथ्वीराज से उक्त कमरे मे आने का कारण पूछा गया तो श्री पृथ्वीराज ने बताया कि डॉ. रोहित चौधरी मेरा पुत्र है मेरे को एसडीएम पीलीबंगा ने कुछ दिन पहले सूचना दी थी कि आपके पुत्र डॉ. रोहित चौधरी के द्वारा गलत ओपीनियन चोट प्रतिवेदन तैयार कर दिया है जिसकी विकास कुमार शिकायत कर रहा है मेरे को यह सूचना मिलने पर मैने श्री विकास कुमार जो हमारा रिश्तेदार भी है उसके पास मामले की जानकारी के लिए आया था जिसने बताया कि डॉ. रोहित चौधरी ने रजत भादू की चोट प्रतिवेदन पर गलत ओपीनियन तैयार कर दिया है उन चोटो को गंभीर प्रकृति का नही बताने की ऐवज मे विकास से डॉ. रोहित चौधरी ने रूपये लिए है इस पर मैने मेरे पुत्र डॉ. रोहित चौधरी को समझाते हुए विकास कुमार से राजीनामा करने के लिए कहा था एवं आज भी दोनो का आपस मे राजीनामा करवाने हेतु एक पिता के नाते मै विकास कुमार के बुलाने पर इस होटल के उक्त कमरे मे आया था। इस पर परिवादी श्री विकास कुमार ने श्री पृथ्वीराज की बातो का खण्डन करते हुए बताया कि यह पी.आर. भादू जी जन सेवा होस्पीटल टांटिया ग्रुप गंगानगर मे जॉब करते है जिनको मै जानता हूं अभी कुछ दिन पहले यह अपने दामाद दीपक चौधरी के साथ मेरे पास आए थे तथा बताया था कि आपने मेरे पुत्र की शिकायत कर दी है अपन मिल बैठकर इस मामले को सलटा देते है तथा आज भी यह डॉ. रोहित चौधरी द्वारा गलत चोट

प्रतिवेदन तैयार किया था उसकी गलती डॉ. रोहित चौधरी ने इनके सामने स्वीकार की थी तथा इनके सामने ही डॉ. रोहित चौधरी ने मेरे से पूर्व मे ली गई रिश्वती राशि मे से 80000/- जरिये फोन-पे मेरे को लौटाए है तथा शेष रिश्वती राशि 45000/- रूपये मेरे द्वारा डॉ. रोहित चौधरी द्वारा रजत भादू की मेडिकल रिपोर्ट पर दी गई ऑपीनियन की मूल प्रति वापस लौटाने पर शेष राशि देने का कहा था।

परिवादी श्री विकास कुमार तथा आरोपी डॉ. रोहित चौधरी के मध्य आज दिनांक 8-9-2022 को रिवर्स ट्रेप कार्यवाही के दौरान पूर्व मे लेन देन हुई रिश्वती राशि वापस जरिये फोन-पे लोटाये गये है इस पर आरोपी डॉ. रोहित चौधरी का मोबाईल हैण्डसेट ओपो कम्पनी का जिसमें मोबाईल नम्बर 9414362102 व 9521872682 की सीम लगी हुई है की वाट्सअप चैटिंग को चैक किया गया तो डॉ. रोहित चौधरी के द्वारा श्री विकास कुमार से पूर्व में ली गई रिश्वती राशि 80,000/- रूपये एवं आज दिनांक 8-9-2022 को डॉ. रोहित चौधरी द्वारा विकास कुमार को जरिये फोन-पे लोटाई जाना पाया गया है अतः उक्त रिश्वत देन लेन से संबंधित का पृथक से स्क्रिन शॉट लिया जाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

मौके पर श्रीगंगानगर के एसीबी के अधिकारी श्री वैदप्रकाश लखोटिया पुलिस उप अधीक्षक मौजूद है जिनके द्वारा आरोपी के पीलीबंगा स्थिति सरकारी आवास की खाना तलाशी ली जानी है जिसके संबंध में पुलिस उप अधीक्षक श्री वैदप्रकाश लखोटिया द्वारा उनके सरकारी आवास पर की चाबी बाबत पूछा गया तो बताया कि मेरी कार आरजे-13-सीडी-2809 फोर्ड टाईटेनियम सफेद रग की नीचे खड़ी हुई है जिसमें मेरे पीलीबंगा स्थित सरकारी आवास की चाबी है तथा उक्त कार मे मेरा पर्स भी रखा हुआ है जिसमें मेरी आईडी तथा एटीएम से खर्चे हेतु निकाले गए 8300/- रूपये रखे हुए है जो मेरे घरेलु खर्च के है। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने डॉ. रोहित चौधरी से कार की चाबी लेकर स्वतंत्र गवाह व डॉ. रोहित चौधरी के पिता श्री पृथ्वीराज को साथ लेकर उक्त कार के पास पहूंचकर कार का लॉक खोलकर तलाशी ली गई तो आरोपी द्वारा बताई गई वस्तुओ के अतिरिक्त अन्य कोई किमती सामान रूपया पैसा आदि नही मिला। आरोपी के सरकारी आवास की चाबी आरोपी के पिता श्री पृथ्वीराज के सुपुर्द कर खाना तलाशी दिलवाने हेतु श्री वैदप्रकाश लखोटिया पुलिस उप अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो श्रीगंगानगर को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया तथा कार की चाबी वापस डॉ. रोहित चौधरी के सुपुर्द की गई।

ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही श्री विकास कुमार के साथी श्री धर्मपाल मौके पर उपस्थित आ चुके है जिनसे उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम धर्मपाल पुत्र श्री पृथ्वीराज, जाति जाट, उम्र 30 वर्ष निवासी 2एनएम, ठाकुरवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ होना बताया। श्री धर्मपाल ने पूछने पर बताया कि मेरे तथा रजत भादू के दिनांक 16-7-2022 को आपस मे कहा सुनी हो गई थी श्री रजत भादू ने डॉ. रोहित चौधरी से मिलकर अपनी चोटो को चोट प्रतिवेदन में गंभीर प्रकृति की चोट अंकित करवा दिया था। जिसके बारे मे मैने

मेरे दोस्त श्री विकास कुमार को उक्त चोट प्रतिवेदन के बारे मे बताया था। श्री विकास कुमार ने डॉ. रोहित चौधरी से सही चोट प्रतिवेदन बनाने हेतु निवेदन किया था तो डॉ. रोहित चोधरी ने सही चोट प्रतिवेदन बनाने के लिए रिश्वत की मांग करी थी तब डॉ. रोहित चौधरी के दबाव के कारण हमने रिश्वत के 125000/- रूपये विकास कुमार के मार्फत दिए थे तथा डॉ. रोहित चौधरी को ट्रेप करवाने हेतु श्री विकास कुमार को कहा था मेरे कहने पर श्री विकास कुमार ने रिश्वत राशि लेते हुए पकड़वाने की रिपोर्ट आपके विभाग मे करी थी। डॉ. रोहित चौधरी को हमारे द्वारा आपके विभाग मे की गई शिकायत की भनक लग गई थी इसलिए इन्होने वापस रिश्वती की राशि लौटा रहे थे जिस पर ब्यूरो मे कार्यवाही करवाने हेतु मेरी सहमति से ही श्री विकास कुमार ने आपके यहां शिकायत की थी। पीलीभंगा मे दर्ज प्रकरण मे गिरफतारी के डर से मै सामने नही आना चाहता था।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को ध्यानपूर्वक चलाकर सुना गया तो उसमे डॉ. रोहित चौधरी द्वारा परिवादी श्री विकास कुमार से पूर्व में रजत भादू के चोट प्रतिवेदन के क्रम मे 125000/- रूपये प्राप्त करने संबंधी आज उक्त राशि मे से 80,000/- रूपये जरिये फोन-पे के लौटाना तथा शेष रश्विती राशि श्री विकास कुमार द्वारा डॉ. रोहित चौधरी द्वारा रजत भादू के चोट प्रतिवेदन पर दी गई ऑपीनियन की मूल प्रति लौटाने संबंधित वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिसकी नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट व सीडीया तैयार की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत मे अंकित अन्य तथ्यो को अनुसंधान के दौरान स्पष्ट किया जावेगा।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी डॉ. रोहित चौधरी पुत्र श्री पृथ्वीराज, जाति जाट, उम्र 39 वर्ष निवासी 36 पीटीपी मनीवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर हाल चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ द्वारा परिवादी श्री विकास कुमार के दोस्त श्री धर्मपाल के विरूद्व पुलिस थाना पीलीबंगा मे दर्ज मुकदमा नम्बर 346/2022 दर्ज करवाया था जिसमें श्री रजत भादू के चोट प्रतिवेदन में गंभीर प्रकृति की चोट प्रतिवेदन तैयार करने के पश्चात् उक्त गंभीर चोट पर पुनः अपनी ओपीनियन मे गंभीर चोट नही बताने तथा उक्त चोट से मृत्यु कारित नही होने आदि ओपीनियन श्री धर्मपाल के पक्ष मे देने के लिए परिवादी श्री विकास कुमार के जरिये 125000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् श्री रजत भादू की मेडिकल रिपोर्ट पर पुलिस थाना पीलीबंगा के पत्रांक एसपीएल दिनांक 4-8-2022 पर अपनी ओपीनियन मे श्री रजत भादू की पूर्व मे जारी चोट प्रतिवेदन में अंकित चोटो को गंभीर प्रवृति एवं उक्त चोटो से मृत्यु कारित होना नही बताया। इस प्रकार आरोपी ने रिश्वती राशि प्राप्त कर उक्त रिपोर्ट तैयार की है तथा परिवादी श्री विकास कुमार को उक्त ओपीनियन रिपोर्ट पुलिस थाना पीलीबंगा से बदलवाने हेतु उपलब्ध करवा दी। परिवादी श्री विकास कुमार द्वारा आरोपी डॉ. रोहित चौधरी की शिकायत ब्यूरो मे करने पर उसकी भनक डॉ. रोहित चोधरी को लगने पर पूर्व में ली गई रिश्वती राशि 125000/- रूपये मे से 80,000/- रूपये आज दिनांक 8-9-2022 को जरिये फोन-पे वापस परिवादी श्री विकास कुमार को लौटाई है। आरोपी का उक्त कृत्य अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 के अर्न्तगत

पाया गया है। गिरफतारी के आधारों का उल्लेख पृथक से तैयार की गई चैक लिस्ट में करते हुए आरोपी डॉ. रोहित चौधरी पुत्र श्री पृथ्वीराज, जाति जाट, उम्र 39 वर्ष निवासी 36 पीटीपी मनीवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर हाल चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ को जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

अत: आरोपी डॉ. रोहित चौधरी पुत्र श्री पृथ्वीराज, जाति जाट, उम्र 39 वर्ष निवासी 36 पीटीपी मनीवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर हाल चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(संजय कुमार)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण,जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संजय कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ. रोहित चौधरी पुत्र श्री पृथ्वीराज, चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 354/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3071-75 दिनांक 9.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

9.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।